न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या 46 / 2021

GCMS No.- 2021/63

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामकरण पुत्र हनुमानराम जति जाट निवासी जसवन्तपुरा उचित मूल्य दुकानदार पांचवा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर,राज. मो.न.– 8824392507		जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री गोविन्द कड़वा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) सुश्री दिव्या विश्नोई।

निर्णय दिनांक– 06-09-2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित प्रकरण संख्या 03 / 2021 राजस्थान सरकार बनाम रामकरण में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2021 के विरूद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि अपीलांट को नियमानुसार उचित मूल्य दुकानदार, पांचवा का प्राधिकार पत्र रसद विभाग द्वारा जारी किया हुआ था व अपीलांट नियमानुसार कार्य करता रहा था, अपीलांट के विरूद्ध कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता की नहीं रही थी न ही हस्तगत पत्रावली में एसी कोई शिकायत है लेकिन इसी दौरान अपीलांट के कुटुम्ब वालो से राजनैतिक अदावत रखने वाली सरपंच भगवतीदेवी ने दिनांक 5.6.2020 को जिला रसद अधिकारी नागौर को एक मिथ्या शिकायत इस आशय की पेश की कि उचित मूल्य दुकानदार रामकरण जाट मनमानी करता है व जाति का रौब दिखा कर अनुसूचित जाति वालो को खाद्य सामग्री नहीं देता है ऐसी शिकायत लेटरहैड पर लिख कर उस पर अपनी पार्टी के मिलने वाले कुछ लोगो के हस्ताक्षर करवा कर उक्त मिथ्या शिकायत पेश कर दी जबकि उक्त शिकायत में उचित मूल्य दुकानदार ने किस प्रकार प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया, किसके साथ मनमर्जी करके रौब दिखा कर सामग्री वितरण नहीं की ऐसा कोई खुलासा अंकन रिपोर्ट में नहीं है न ऐसे किसी राशनकार्डधारी का शपथ पत्र पेश किया न ही ऐसी शिकायत करने से पूर्व ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव लिया न ऐसे किसी प्रस्ताव का हवाला दिया केवल मात्र [illegible] की मिथ्या शिकायत कर दी व उस शिकायत पर स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच कर[illegible] बिना [illegible] प्रवर्तन निरीक्षक रामवतार पूनिया की कथित जांच रिपोर्ट दिनांक [illegible].2020 को आधार [illegible]कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 7.9.2020 को निरस्त करने [illegible] उक्त निर्णय [illegible] कर दिया जिससे [illegible] होकर पूर्व में अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील [illegible] 2020 अपीलांट रामकरण बनाम रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी नागौर पेश की गयी। उक्त में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.10.2020 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर यह आदेश पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:37:08 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

किया कि अपीलांट के विरूद्ध द्वितीय आरोप के संबंध में प्रकरण रिमाण्ड कर पक्षकारान को पुनः सुनवाई, साक्ष्य सबूत आदि का अवसर प्रदान कर द्वितीय आरोप के संबंध में विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आदेश प्रदान किया गया।

3. जिला रसद अधिकारी नागौर को पत्रावली रिमाण्ड होने पर पुनः विभागीय प्रकरण संख्या 3/2021 दर्ज कर द्वितीय आरोप वक्त जांच पोश मशीन में उपलब्ध स्टॉक के अनुसार मौके पर 2659 किलोग्राम गेहूं कम पाया गया के संबंध में अपीलांट/ अप्रार्थी को पुनः नोटिस जारी कर प्रकरण में वास्ते पेश करने जवाब दिनांक 4.2.2021 पेशी नियत की गई, अप्रार्थी डीलर ने पेशी दिनांक 4.2.2021 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि उसकी पोश मशीन संख्या 23018 में 2674 किलोग्राम गेहूं ज्यादा चढ़ गया जो कि भौतिक रूप से उसे प्राप्त नहीं हुआ। अपीलांट/ अप्रार्थी डीलर के जवाब के संलग्न दस्तावेजो एवं प्रवर्तन निरीक्षक की टिप्पणी से भी जिला रसद अधिकारी ने यह स्पष्ट माना कि अप्रार्थी डीलर की मशीन में 2674 किलोग्राम गेहू ज्यादा चढ़ गया। मगर केवल यह कहते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आधार दर्ज किया कि अप्रार्थी डीलर ने ज्यादा गेहूँ पोस मशीन में चढ़ जाने की सूचना प्रवर्तन निरीक्षक व जिला रसद अधिकारी को दी इसका कोई/सबूत पेश नहीं किया। प्रवर्तन निरीक्षक की टिप्पणी में भी स्पष्ट हुआ है कि पोश मशीन में ज्यादा गेहूं डीलर की गलती से ही ज्यादा अपडेट हुआ है। जिला रसद अधिकारी ने पुनः निर्णय करते वक्त द्वितीय आरोप बाबत् स्थिति स्पष्ट हो जाने के बावजूद यह कहते हुए प्राधिकार पत्र निरस्ती का निर्णय कर दिया कि अप्रार्थी डीलर ने अपने जवाब में यह नहीं बताया कि उसके द्वारा 15 किलो गेहूं का क्या किया? तथा अपीलांट के अधिवक्ता के तर्को का गलत अर्थ निकालते हुए व विरोधाभाष प्रकट करते हुए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पुनः विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलांट की ओर से दिनांक 17.03. 2021 को जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 12434/2020 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2021 की छाया प्रति पेश की मगर तमाम वास्तविक स्थिति को नजर अन्दाज करते हुए अधिनस्थ रसद अधिकारी ने अपीलांट के विरूद्ध आरोप साबित न होते हुए भी प्रतिभूति राशि 1000रू. जब्त बहक सरकार करने व प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिनांक 8.4. 2021 को पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

3(1)—अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी, नागौर का आदेश जैर अपील गैर कानूनी, राजनैतिक दबाव व प्रभाव के चलते पारित किया होने से विधिक आदेश/निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है तथा आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

3(2)—अपीलांट के विरूद्ध उक्त मुकदमा कथित सरपंच की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है, जिस शिकायत के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया है उस शिकायत के साथ ऐसी कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये जिससे अपीलांट के विरूद्ध कोई मामला बनता हो केवल मात्र पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलांट के विरूद्ध शिकायत की गयी थी। जिस शिकायत के आधार पर जिला रसद अधिकारी ने प्रवर्तन निरीक्षक से जांच करवाई लेकिन उन्होंने पर निष्पक्ष जांच नहीं की है। जबकि वास्तविक स्थिति अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी के समक्ष स्पष्ट हो गयी कि कथित गेहू पौश मशीन में अधिक चढ़ जाने से ऐसी भ्रांति पैदा हुई जिसके संबंध में बार–बार निवेदन करके साक्ष्य सबूत भी पेश किया गया, जिसे अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी ने स्वीकार भी किया है मगर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपने आदेश में अपूर्ण व भ्रमित तथ्य व बिना विरोधाभाष हुए विरोधाभाष होने का गलत अंकन करते हुए व अपीलांट के विरुद्ध आरोप संख्या 2 प्रमाणित नहीं होते हुए भी प्रमाणित मान कर आदेश/ निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। [illegible] तहसील कुचामन सिटी से नागौर आकर जिला रसद अधिकारी के समक्ष [illegible] दिनांक 5.6.2020 को दोपहर बाद शिकायत पेश की है जबकि मौका रिपोर्ट जो पत्रावली [illegible] पेश हुई है वह दिनांक 5.6.2020 समय 2.50 पी.एम. की है और [illegible] रिपोर्ट में [illegible] के विरुद्ध शिकायत दिनांक 14.05.2020 को जिला रसद अधिकारी [illegible] जिला रसद अधिकारी के मौखिक आदेश दिनांक 4.6.2020 को दिये जाने का हवाला है जबकि पूरी पत्रावली में दिनांक 14.5.2020 की शिकायत का कोई भी सबूत, प्रति कुछ भी नहीं है इतना ही नहीं जिला रसद अधिकारी का मौखिक आदेश दिनांक 04.06.2020 को दिया जाना बताया गया है जबकि विभागीय प्रकरण में ऐसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:37:08 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

कोई मौखिक आदेश नहीं दिया जाता है सारा कार्य लिखित में होता है और उसका हवाला दिया जाकर ही कोई मौका जांच रिपोर्ट तैयार की जाती है जबकि प्रकरण में न तो ऐसी शिकायत का सबूत है न कोई लिखित आदेश ही जांच बाबत है फिर भी मौका रिपोर्ट तैयार की है व उसमें सरासर गलत आक्षेप अपीलांट के विरूद्व लगाये गये है। जिला रसद अधिकारी ने प्रवर्तन निरीक्षक को जांच करने हेतु दिनांक 14.05.2020 की प्रति संलग्न करना बताकर तहरीर जारी की है लेकिन ऐसी कोई शिकायत पत्रावली के संलग्न नहीं है तथा उक्त आदेश में यह भी अंकन नहीं है कि उचित मुल्य दुकानदार द्वारा किसी प्रकार से अनियमितता की है व उसके विरूद्व क्या शिकायत है ऐसा कुछ भी अंकन नही है तथा किस ग्रामवासी ने व किस जनप्रतिनिधि ने शिकायत किस आधार पर पेश की है इसका भी कोई हवाला नहीं है स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत केवल मात्र स्थानीय राजनेताओ व सरपंच के अनुचित दबाव व प्रभाव में आकर केवल औपचारिकता पूरी कर प्राधिकार पत्र को बिना किसी अनियमितता के अवैधानिक रूप से निरस्त किया गया है जो इस बात का प्रमाण है कि शिकायत सरपंच द्वारा दिनांक 5.6.2020 को दी जाती है व उसी दिन नागौर से 170 किलोमीटर दूर जाकर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौका फर्द तैयार कर ली जाती है जो कतई संभव नहीं है। कथित जांच रिपोर्ट में मुख्य रूप से यह आक्षेप लगाया गया कि डिलर ने उपभोक्ताओ को अप्रेल माह में प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूं वितरण नहीं किया है जबकि इस संबंध में अपीलांट ने लिखित में जवाब के रूप में यह स्पष्ट कर दिया कि रसद विभाग द्वारा डिलर को अप्रैल माह का प्रधानमंत्री अन्न योजना का गेहूं कम उपलब्ध हुआ था जिसके संबंध में विभाग को डिलर ने सूचित कर दिया व रसद विभाग ने यह बताया कि अप्रैल माह का गेहूं से जो उपभौक्ता वंचित रहे है उनको 15 मई 2020 के बाद मिलेगा इसके साथ ही मई 2020 का जो गेहूं दोनो योजनाओं का था एक साथ वितरण कर दिया व वंचित रहे उपभौक्ताओं को डिलर ने सूचित भी कर दिया लेकिन कथित लोग जो कि सरपंच की पार्टी के है उन्होनें जानबूझ कर गेहूं प्राप्त नहीं किया ताकि इस संबंध में शिकायत की जा सके व लोग लेने आये उनको गेहूं वितरण हुआ है इस प्रकार डिलर ने जानबूझ कर किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रखा है तथा डिलर पर जाति विशेष का रौब दिखाने का सरासर गलत अंकन कर शिकायत पेश की गई है जबकि जाति विशेष का नाजायज लाभ शिकायतकर्ता उठा रहे है इस प्रकार कथित 12 व्यक्ति जो सरपंच की पार्टी के है उन्होने सरपंच के साथ मिलकर अपीलांट के विरूद्व गलत बयानबाजी की है।

3(3)—जहां तक स्टॉक कम ज्यादा का प्रश्न है उस संबंध में अपीलांट का निवेदन था व है कि अपीलांट को उस समय 13.37 क्विंटल ही गेहूं कार्यालय दी नागौर सहकारी उपभौक्ता होलसेल भण्डार लि. नागौर की बिल्क संख्या 1680 दिनांक 10.08.2018 के जरिये प्राप्त हुआ था लेकिन पोश मशीन में 13.37 क्विंटल गेंहू तीन बार चढ़ जाने से कुल 40.11 क्विंटल स्टॉक बता दिया जबकि डिलर को गेहूं रिसीव हुआ है वो एस.आर. नम्बर 64 में अंकित 13.37 क्विंटल ही मिला है लेकिन तीन बार चढ़ने से 40.11 क्विंटल दर्शाया है जबकि 26.74 क्विंटल जो गलत रूप से दर्ज हो गया था उसे विभाग स्वयं द्वारा कम किया जाना व गलती को दुरूस्त किया जाना प्रमाणित किया है और उक्त चूक को आधार बनाकर अपीलांट के विरूद्व मिथ्या आक्षेप लगाकर स्टॉक संबंधी अनियमितता का आधार लिया है जो कि सरासर गलत है विभाग की सामाजिक अन्वेक्षण निर्धारित अभिलेख रिपोर्ट में इस आश्य का नोट अंकित किया गया है कि माह अक्टूबर 2018 में 26.74 क्विंटल अधिक अपलोड हुआ है जो वर्तमान में 26.67 ज्यादा अपलोड है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभागीय दस्तावेजो से किसी भी प्रकार उक्त गेंहू कम पाये जाने का कोई मामला अपीलांट के विरूद्व नहीं बनता है लेकिन उक्त दस्तावेजों व स्टॉक संबंधी रिसीव आदि को नजर अन्दाज करते हुए अधिनस्थ [illegible] अधिकारी ने अवैध रूप से निर्णय पारित किया है जिसके विरूद्व माननीय न्याया[illegible] ने [illegible]लांट की अपील संख्या 138 / 2020 को आंशिक स्वीकार कर विधि सम्मत निर्णय कर[illegible] आदेश दिया इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी ने विधि सम्मत [illegible] के तथ्यो का हवाला देकर पुनः उसी अनुसार अनुचित, त्रुटिपूर्वक [illegible], जो अपास्त / निरस्त / संशोधित किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:37:08 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

3(4)—जिला रसद अधिकारी के पूर्व आदेश में यह अंकित किया गया है कि 2659 किलोग्राम गेहूं कम पाया गया है इस बाबत अपीलांट का निवेदन था व है कि डिलर को उपर बताये अनुसार बिल्टी संख्या 1680 के जरिये 1337 किलोग्राम गेहूं प्राप्त हुआ था लेकिन पोश मशीन में तीन बार चढ जाने से 4011 किलोग्राम गेहूं दर्शा दिया गया जिसे विभाग ने बाद में दुरूस्ती कर रसीव रिपोर्ट एस.आर. नम्बर 64 के जरिये 4011 किलोग्राम गलत दर्ज होना पाया गया है व वास्तविक रूप से दिया गेहूं 1337 किलो ही माना गया है जो 4011 में से 1337 किलोग्राम कम करने पर –2674 किलोग्राम होते है जिसमें से 15 किलो उपभौक्ता को ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाने से शेष 2659 होता है जो केवल मात्र पोश मशीन की गलती से दर्शाया गया है और उसे विभाग ने अन्वेक्षण रिपोर्ट के नोट में स्वीकार किया है कि 2674 किलो अधिक अपलोड हो गया है लेकिन जिला रसद अधिकारी ने इन तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए निर्णय में सहायक नहीं मानते हुए कथित 2659 किलोग्राम गेहूं कम पाये जाने को आधार मानकर आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है व दुबारा मामला रिमाण्ड होने पर भी विधि सम्मत आदेश पारित नहीं करके पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर त्रुटिपूर्वक द्वितीय निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है।

3(5)—डिलर द्वारा किसी प्रकार की कोई गंभीर या साधारण अनिमितता नहीं की गयी है न कोई सबूत है केवल मात्र भ्रमित दस्तावेजो व झुठी राजनेतिक शिकायत के आधार पर सारी कार्यवाही आनन फानन में की गयी है। प्रार्थी को दिनांक 13.06.2020 को कारण बताओ नोटिस दिया जिसका खुलासा जवाब अपीलांट ने पेश कर दिया जिसकी प्रति शामिल पत्रावली है उसको भी जिला रसद अधिकारी ने ध्यानपूर्वक पढे बिना व उसको नजर अन्दाज करते हुए एकतरफा रूप में आदेश पारित किया है। सरपंच को राशन के गेहूं लेने का अधिकार कानूनन नहीं होने के बावजूद गैर कानूनी रूप से राशन सामग्री देने का दबाव बनाने पर डिलर ने समझाईश की कि सरपंच ऐसी योजना के तहत राशन सामग्री प्राप्त करने वाले पात्र सदस्यो की श्रेणी में नहीं आते है इस कारण उन्हें राशन सामग्री वितरण नहीं की जा सकती है जिससे सरपंच सख्त नाराज हो गयी व इसी वजह से उसने कुछ 10–12 अपने मिलने वाले व पार्टी के लोगो का समूह बनाकर मिथ्या शिकायत पर ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाकर अपीलांट के विरूद्ध मिथ्या शिकायत कर दी व फिर राजनैतिक दबाव बनाकर डिलर की किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होते हुए भी प्राधिकार पत्र बिना किसी आधार के पुनः निरस्त करवाने का आदेश जैर अपील पारित फरमाया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

3(6)—प्रकरण हाजा में जांच अधिकारी ने कथित शिकायतकर्ता सरपंच या उसके सहयोगी जिन्होने शिकायत करना बताया है उनके कोई बयान भी नहीं लिये है न ही ग्राम पंचायत के स्वतंत्र लोगो के, उपभौक्ताओ के या गांव के अन्य वार्ड पंच, ग्राम सेवक, पटवारी व मौजीज लोगो से या अन्य राशनकार्डधारियों से कोई जांच नहीं की न पूछताछ की न बयान लिये केवल मात्र मौखिक आदेश का हवाला देकर सारी कार्यवाही एकतरफा में बाले बाले की गयी है तथा मिथ्या रूप से संयुक्त बयाननामा लिख कर कुछ लोगो के हस्ताक्षर करवाये गये है जिसमें भी राशन डिलर के यहां 2659 किलोग्राम गेहूं कम पाये जाने का कोई आक्षेप व उल्लेख नहीं है केवल यह लिखा गया है कि 5 किलो गेंहू अप्रैल माह का वितरण नहीं किया गया है जिस बाबत उपर उल्लेख किया गया है कि अप्रैल माह में स्टोंक खत्म हो गया था जिस कारण वितरण नहीं किया गया था इसके बावजूद कथित आदेश पारित करने का कोई भी साक्ष्य सबूत पत्रावली में मौजूद नहीं है। अपीलांट सन् 2008 से आज तक नियमित रूप से पूर्ण ईमानदारी के साथ राशन सामग्री का वितरण करता रहा है किसी की कोई शिकायत नहीं रही है हाल ही में उक्त राजनेतिक पार्टीबाजी के कारण मिथ्या शिकायत की गयी है, जो स्थिति स्पष्ट होने के के बावजूद पुनः विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है।

3(7)—अपीलांट द्वारा निष्ठापूर्ण रूप से राशन सामग्री वितरण करने व किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरतने व किसी भी उपभोक्ता के साथ गलत व्यवहार नहीं करने व राशन सामग्री से किसी को भी वंचित नहीं रखने आदि के संबंध में गांव के निष्पक्ष स्वतंत्र गवाहान के शपथ पत्र भी जांच अधिकारी को दिये लेकिन जानबूझ कर पत्रावली में नहीं लिये व अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिये जिससे अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:37:08 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

138 / 2020 के साथ उक्त लोगो के शपथ पत्र पेश किये गये जो पत्रावली में होने बावजूद उनको नजर अन्दाज करते हुए पुनः त्रुटिपूर्वक निर्णय पारित किया है।

3(8)–प्रकरण हाजा में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो जांच रिपोर्ट दिनांक 5.6.2020 को तैयार की गयी है उसमें भी कथित 2659 किलोग्राम गेहूं कम पाये जाने का कोई उल्लेख नही है न ही कम पाया जाना माना गया है इसके विपरीत जांच रिपोर्ट में स्टॉक रजिस्टर संधारण करना पाया गया है। उल्लेखनीय है कि मात्र 15 किलो गेहूँ कम ज्यादा का विवाद उत्पन्न हुआ है, जो रसद विभाग की गलती से हुआ है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में गेहूँ वितरण करने के दौरान फटे कट्टों में से थोड़ा–थोड़ा गेहूँ बिखरने के कारण भी इतने बड़े स्टॉक में 15 किलो गेहूँ की छीजत होना भी स्वभाविक है, जिसको भी जिला रसद अधिकारी ने नजर अन्दाज किया है।

3(9)–विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जिस अधिकारी द्वारा कथित कोई जांच प्रतिवेदन बना कर पेश किया जाता है उसके संबंध में डिलर की पूर्ण सुनवाई की जाना व डिलर को अपनी ओर से साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए व कोरोना वायरस माहमारी के दौर में इतनी जल्दबाजी में बिना किसी अर्जेन्सी के ऐसा कठोरतम निर्णय किया जाना कतई आवश्यक नहीं होते हुए भी इन सभी को नजर अन्दाज करते हुए विद्वान जिला रसद अधिकारी ने निर्णय जैर अपील एकतरफा में पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि जांच अधिकारी व जिला रसद अधिकारी ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए व राजनैतिक नेताओ को संतुष्ट करने के लिए उक्त कथित जांच प्रतिवेदन बनाया व आनन फानन में ही उस पर निर्णय पारित कर दिया। जिससे निर्णय जैर अपील पारदर्शितापूर्ण नहीं होने व सम्पूर्ण कार्यवाही पुर्वाग्रह से ग्रसित होकर की होने से निर्णय जैर अपील विधि सम्मत निर्णय नहीं है और इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू के मध्य नजर निर्णय जैर अपील अपास्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

3(10)–रेस्पोडेन्ट ने आदेश जैर अपील पारित करते समय आवश्यक वस्तु अधिनियम व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों की सही प्रकार से व्याख्या नहीं की है और उक्त आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना व नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो हस्तक्षेप योग्य है।

3(11)–अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया था जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के किसी भी शर्त या निबन्धनों का उल्लंघन होता हो तथा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र में बतायी गयी किसी भी शर्त का उल्लंघन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त करना किसी भी प्रकार से कानून सम्मत नहीं था और इस आधार पर भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

3(12)–अपीलांट के विरूद्ध किसी भी उपभौक्ता की कोई शिकायत कभी नहीं रही थी, हमेशा नियमानुसार व प्राधिकार पत्र की शर्तो अनुसार सामग्री वितरण की जाती रही है कथित जांच प्रतिवेदन के समय भी कोई अनियमितता नहीं की गयी थी, जो आरोप लगाये गये है वह सत्य नहीं है।

3(13)–अप्रार्थी / डिलर ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की थी न ही पूर्व की कोई शिकायत अप्रार्थी के विरूद्व रही थी। ग्राम पंचायत के किसी भी उपभौक्ता द्वारा मुझ डिलर के विरूद्व कभी कोई असंतोष नहीं जताया न काई शिकायत की गयी थी। डिलर ने इस तरह की वैश्विक माहमारी के दौर में भी अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए समय समय पर उपभौक्ताओ को राशन सामग्री उपलब्ध करवायी है ऐसे में डीलर का प्राधिकार पत्र आनन फानन में निरस्त करने से डिलर के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों अनुसार विधि सम्मत नहीं है सारी कार्यवाही एक ही दिन में की गयी है अप्रार्थी / डिलर बेरोजगार युवक है उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी उसी पर है तथा अप्रार्थी / डिलर नियमानुसार राशन सामग्री वितरण करता आ रहा है किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है फिर भी प्रतिवेदन के आक्षेपो का अप्रार्थी / डिलर खुलासा जवाब दिया है व देने को तैयार है। अप्रार्थी / डिलर ने श्रीमान के मौखिक आदेश व कोविड–19 के चलते सरकारी आदेशो की हमेशा पालना की है ऐसी स्थिति में कोविड–19 के चलते इस तरह

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:37:08 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

का कठोर निर्णय पारित करना कतई न्याय संगत नहीं है। गांव के उपभौक्ताओ के बयान भी नहीं लिये गये है यदि स्वतंत्र लोगो के बयान आदि लिये जाते तो भी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती तथा जो राशन कार्ड ऑन लाईन थे उन्हीं को सामग्री वितरण की गयी है तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए व कार्डधारियों को ही वितरण किया गया है इसलिए अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय संगत है।

3(14)—उपरोक्त हालात में यह स्पष्ट था व है कि अपीलांट निर्दोष है उसके विरूद्व कोई मामला नहीं बनता है। अपीलांट को जारी उक्त प्राधिकार पत्र के बाद में अपीलांट के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत किसी भी उपभौक्ता या अन्य नागरिक की नहीं थी जिससे यह साबित हो कि अपीलांट के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम या उसके तहत बने नियमो का उल्लंघन किया गया हो। इसके अलावा अपीलांट के द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो व निबन्धनो की पालना करते हुए विधिनुसार कार्य किया जाता रहा था जिससे भी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाना किसी भी सुरत में न्यायोचित नहीं था, अपीलांट के द्वारा उचित मूल्य दूकानदार के रूप में कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से किया जाता रहा था, फिर भी कोई शिकायत थी तो अपीलांट से जवाब, साक्ष्य व इस संबंध में में शपथ पत्र लेकर उसका प्राधिकार पत्र बहाल करना न्यायोचित होते हुए भी उसे निरस्त करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है।

3(15)—अपीलांट बेरोजगार युवक है उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी अपीलांट पर ही है तथा अपीलांट नियमानुसार राशन सामग्री वितरण करता आ रहा है किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है इस कोविड–19 वैश्विक माहमारी के दौर में इस तरह का कठोरतम निर्णय पारित नहीं करके अपीलांट को आवश्यक हिदायत देकर या आवश्यक हो तो आईन्दा ऐसी शिकायत नहीं होने बाबत् बंधपत्र या अण्डरटेंकिग/शपथ पत्र लेकर प्राधिकार पत्र बहाल करना न्याय संगत था व है और यही विधि की मंशा है मगर ऐसा नहीं करके सरसरी आधारो पर एकतरफा में गलत रूप से कार्यवाही कर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने में जिला रसद अधिकारी नागौर ने विधिक त्रुटि की है जिससे भी आदेश जैर अपील संशोधित/परिवर्तित/निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जो भी शर्ते अपीलांट पर अधिरोपित की जावेगी उनकी अपीलांट अक्षरशः पालना करने को तैयार है।

3(16)—उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनिमितता पाई जाने पर सर्व प्रथम जांच अधिकारी द्वारा इस संबंध में बनी वितरण कमेटी द्वारा जांच कर उस कमेटी के सदस्यो द्वारा पूछताछ कर उनके बयान लेकर उसके पश्चात दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर उक्त कमेटी के बयानो को मध्य नजर रखते हुए उचित मूल्य दुकानदार को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर बाद में दोषी पाये जाने पर उक्त प्राधिकार पत्र निरस्ती की कार्यवाही की जा सकती है मगर प्रकरण हाजा में ऐसी कमेटी द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत उक्त दुकानदार अपीलांट के विरूद्व नहीं है न ही जांच अधिकारी ने ऐसी कमेटी के सदस्यों के बयान ही लिये है न ही किसी तरह से पूछताछ की है केवल मात्र पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एकतरफा कार्यवाही कर अपीलांट को दोषी बता कर निर्णय पारित करवाया है व अब विज्ञप्ति जारी कर आनन फानन में नया डिलर नियुक्त किये जाने की तैयारी में है जो विधि सम्मत नहीं होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 03/2021 राजस्थान सरकार बनाम रामकरण में पारित आदेश / निर्णय जैर अपील दिनांक 08.04.2021 को अपास्त/ संशोधित/ निरस्त किये जाने एवं अपीलांट के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र को बहाल किया जाने का निवेदन किया है।

4. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्व राशन सामग्री वितरण में अनियमितता की ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधियों से शिकायत पर जिला रसद अधिकारी नागौर के पत्रांक–रसद/2020/866 दिनांक 14.05.2020 एवं मौखिक आदेश दिनांक 04.06.2020 के सन्दर्भ में श्री रामावतार पुनियां प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान पांचवा की दिनांक 05.06.2020 को मौके पर जाकर जॉच की गई। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उक्त रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.06.2020 को प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट के विरूद्व विभागीय प्रकरण संख्या–71/2020 राज0 सरकार बनाम रामकरण उ.मू.दु. पांचवा दर्ज कर प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 05.06.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:37:08 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

2020 को वक्त निरीक्षण अपीलान्ट द्वारा की गई अनियमितताओं बाबत दो आरोपों के संबंध में कारण बताओं नोटिस कमांक–1024 दिनांक 10.06.20 जारी किया गया जिसमें आरोप संख्या–1 अनुसार मौके पर उपस्थित 12 उपरोक्ताओं द्वारा बताया गया कि अपीलान्ट द्वारा माह अप्रेल में प्रधानमंत्री अन्न योजना का 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूँ का वितरण नहीं किया गया और अपीलान्ट द्वारा बताया गया कि स्टॉक समाप्त हो गया है, जबकि अपीलान्ट के पास स्टॉक उपलब्ध होते हुए भी जानबूझ कर उपभोक्ताओं को वितरित नहीं किया। आरोप संख्या–2 के अनुसार वक्त जॉच पोश मशीन में उपलब्ध स्टॉक के अनुसार मौके पर 2659 किलो गेहूँ कम पाया गया। उक्त आरोपों के संबंध मे अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 71/2020 में दिनांक 07.09.2020 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट उ.मू.दू. पांचवा को जारी प्राधिकार पत्र के तहत जमा सुदा प्रतिभूति राशि 1000/– जब्त बहक सरकार की जाकर जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया। अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की, जिस रसद अपील संख्या–138/2020 रामकरण बनाम जिला रसद अधिकारी नागौर में न्यायालय हाजा द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 19.10.2020 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण में प्रथम आरोप पूर्णतया साबित मानकर उक्त आरोप की हद तक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को यथावत रखा गया एवं प्रकरण में द्वितीय आरोप के संबंध में प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर को रिमाण्ड कर निर्णय (दिनांक 19.10.2020) के बिन्दु संख्या–4(2) में किये गये विवेचन में दिये गये तथ्यों के आधार पर प्रकरण में पक्षकारान को पुनः सुनवाई, साक्ष्य, सबूत आदि का अवसर प्रदान कर प्रकरण में द्वितीय आरोप के संबंध में विधि सम्मत निर्णय पारित करने का अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर को आदेश दिया गया। उक्त निर्णय की अनुपालना में अपीलान्ट के विरूद्ध द्वितीय आरोप के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः हस्तागत विभागीय प्रकरण दर्ज कर उक्त द्वितीय आरोप–वक्त जॉच पोश मशीन में उपलब्ध स्टॉक के अनुसार मौके पर 2659 किग्रा. गेहूँ कम पाये जाने के संबंध में अपीलान्ट को नोटिस दिनांक 07.01.2020 जारी कर बाद सुनवाई निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र के तहत जमा सुदा प्रतिभूति राशि 1000/– जब्त बहक सरकार की जाकर जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत है।

4(1)–प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.02.2021 के पैरा संख्या–4 में किये गये कथनानुसार अपीलान्ट को 1337 किलो गेहूँ बिल संख्या 1680 दिनांक 10.09.2018 को प्राप्त हुए। जबकि पोश मशीन संख्या 23018 में 4011 किलो प्राप्त होना दर्शित किया गया। इस प्रकार पोश मशीन में 2674 किलो गेहू अधिक दर्शित कर दिये गये, जबकि 2674 किलो अपीलान्ट को उपभोक्ता भण्डार से प्राप्त ही नहीं हुए। इसी प्रकार अपीलान्ट द्वारा पूर्व में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 138/2020 में भी इसी प्रकार का कथन करते हुए उक्त 2674 गेहूँ में से 15 किलो गेहूँ उपभोक्ता को ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाने से शेष 2659 होना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि 15 किलो गेहूँ अपीलान्ट के पास भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हुए भी अपीलान्ट द्वारा अधिक ट्रांजेक्शन कर अनियमिता बरती है, जिस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के विरूद्ध राशन सामग्री वितरण में अनियमितता बरतने संबंधी ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधियों से शिकायत [illegible] जिला रसद अधिकारी नागौर के पत्रांक–रसद/2020/866 दिनांक 14.0[illegible] मौखिक आदेश दिनांक 04.06.2020 के सन्दर्भ में श्री रामावतार [illegible] प्रवर्तन [illegible] अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान पांचवा की दिनांक 05.06.2020 को मौके पर [illegible] जॉच की गई। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उक्त रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय [illegible] को प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या–71/2020 [illegible] सरकार बनाम रामकरण उ.मू.दु. पांचवा दर्ज कर प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 05.06.2020 को वक्त निरीक्षण अपीलान्ट द्वारा की गई अनियमितताओं बाबत दो आरोपों के संबंध में कारण बताओं नोटिस कमांक–1024

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:37:08 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

दिनांक 10.06.20 जारी किया गया जिसमें आरोप संख्या–1 अनुसार मौके पर उपस्थित 12 उपरोक्ताओं द्वारा बताया गया कि अपीलान्ट द्वारा माह अप्रेल में प्रधानमंत्री अन्न योजना का 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूँ का वितरण नहीं किया गया और अपीलान्ट द्वारा बताया गया कि स्टॉक समाप्त हो गया है, जबकि अपीलान्ट के पास स्टॉक उपलब्ध होते हुए भी जानबूझ कर उपभोक्ताओं को वितरित नहीं किया। आरोप संख्या–2 के अनुसार वक्त जॉच पोश मशीन में उपलब्ध स्टॉक के अनुसार मौके पर 2659 किलो गेहूँ कम पाया गया। उक्त आरोपों के संबंध मे अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 71 / 2020 में दिनांक 07.09.2020 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट उ.मू. दू. पांचवा को जारी प्राधिकार पत्र के तहत जमा सुदा प्रतिभूति राशि 1000 / – जब्त बहक सरकार की जाकर जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया। अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की, जिस रसद अपील संख्या–138 / 2020 रामकरण बनाम जिला रसद अधिकारी नागौर में न्यायालय हाजा द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 19.10.2020 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण में प्रथम आरोप पूर्णतया साबित मानकर उक्त आरोप की हद तक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को यथावत रखा गया एवं प्रकरण में द्वितीय आरोप के संबंध में प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर को रिमाण्ड कर निर्णय (दिनांक 19. 10.2020) के बिन्दु संख्या–4(2) में *"द्वितीय आरोप वक्त जॉच पोश मशीन में उपलब्ध स्टॉक के अनुसार मौके पर 2659 किलोग्राम गेहू कम पाये गये। उक्त संबंध में अपीलान्ट का तर्क दिया की दी नागौर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. नागौर द्वारा बिल संख्या 1680 दिनांक 10.08.2019के जरिये में 13.37 क्विंटल गेहूँ प्राप्त हुआ था, लेकिन पोश मशीन में तीन बार चढ़ जाने से कुल 40.11 क्विंटल स्टॉक मिला है। एस.आर.नं. 64 की प्रति अनुसार भी 13.37 क्विंटल गेहूं मिला है, लेकिन तीन बार चढ़ने से 40.11 क्विंटल दर्शाया है, अर्थात 26.74 क्विंटल गलत रूप से दर्ज हो गया, उसे स्वंय विभाग द्वारा कम किया जाना एवं गलती को दुरूस्त किया जाना प्रमाणित किया है। उक्त 26.74 क्विंटल गेहूँ में से 15 किलो उपभोक्ता को ज्यादा ट्राजेक्शन हो जाने से शेष 2659 होता है, जो विभाग द्वारा केवल मात्र पोश मशीन की गलती से दर्शाया गया है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य के बावजूद भी 2659 किलोग्राम गेहूँ कम होने का आरोप अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष भी 13.37 क्विंटल गेहूं मिलना एवं तीन बार चढ़ने से 40.11 क्विंटल दर्शाया है, अर्थात 26.74 क्विंटल गलत रूप से दर्ज हो जाना एवं उक्त 26.74 क्विंटल गेहूँ में से 15 किलो उपभोक्ता को ज्यादा ट्राजेक्शन हो जाने से शेष 2659 होता है, जो विभाग द्वारा केवल मात्र पोश मशीन की गलती से दर्शाया जाना बताया है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर ने निर्णय जैर अपील में अपीलान्ट के उक्त कथन की सत्यता के संबंध में कार्यालय रिकार्ड के आधार पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है कि अपीलान्ट द्वारा किये गये उक्त कथन रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित है अथवा नहीं ? इस प्रकार द्वितीय आरोप के संबंध में प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर को प्रकरण में उक्त संबंध में प्रकरण के पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में आरोप संख्या–2 के संबंध में पुनः रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित है।"* इस विवेचन में दिये गये तथ्यों के आधार पर प्रकरण में पक्षकारान को पुनः सुनवाई, साक्ष्य, सबूत आदि का अवसर प्रदान कर प्रकरण में द्वितीय आरोप के संबंध में विधि सम्मत निर्णय पारित करने [illegible] रसद अधिकारी नागौर को आदेश दिया गया। उक्त निर्णय की अनुपालना में [illegible] के विरूद्ध द्वितीय आरोप के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पु[illegible] उक्त द्वितीय आरोप–वक्त जॉच पोश मशीन में उपलब्ध स्टॉक के अनुसार [illegible] पर 2659 किग्रा. गेहूँ कम पाये जाने के संबंध में अपीलान्ट को नोटिस दिनांक [illegible].11.2020 जारी कर बाद सुनवाई निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र के [illegible] जमा सुदा प्रतिभूति राशि 1000 / – जब्त बहक सरकार की जाकर जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है। उक्त निर्णय जैर अपील के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:37:08 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

5(1)—प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया कि जिला रसद अधिकारी के पूर्व आदेश में यह अंकित किया गया है कि 2659 किलोग्राम गेहूं कम पाया गया है इस बाबत अपीलांट का निवेदन था व है कि डिलर को बिल्टी संख्या 1680 के जरिये 1337 किलोग्राम गेहूं प्राप्त हुआ था लेकिन पोश मशीन में तीन बार चढ जाने से 4011 किलोग्राम गेहूं दर्शा दिया गया जिसे विभाग ने बाद में दुरूस्ती कर रसीद रिपोर्ट एस.आर. नम्बर 64 के जरिये 4011 किलोग्राम गलत दर्ज होना पाया गया है व वास्तविक रूप से दिया गेहूं 1337 किलो ही माना गया है जो 4011 में से 1337 किलोग्राम कम करने पर —2674 किलोग्राम होते है जिसमें से 15 किलो उपभौक्ता को ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाने से शेष 2659 होता है जो केवल मात्र पोश मशीन की गलती से दर्शाया गया है और उसे विभाग ने अन्वेक्षण रिपोर्ट के नोट में स्वीकार किया है कि 2674 किलो अधिक अपलोड हो गया है लेकिन जिला रसद अधिकारी ने इन तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए निर्णय में सहायक नहीं मानते हुए कथित 2659 किलोग्राम गेहूं कम पाये जाने को आधार मानकर आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है व दुबारा मामला रिमाण्ड होने पर भी विधि सम्मत आदेश पारित नहीं करने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय आरोप कि वक्त जॉच पोश मशीन में उपलब्ध स्टॉक के अनुसार मौके पर 2659 किलोग्राम गेहू कम पाये गये। उक्त उक्त आरोप के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील में स्पष्टतः अंकित किया है कि "प्रवर्तन निरीक्षक की टिप्पणी में भी स्पष्ट है कि पोश मशीन में ज्यादा गेहूँ डीलर की गलती से ही ज्यादा अपडेट हुआ है" । इस प्रकार प्रकरण उपलब्ध रिकार्ड एवं तथ्यों यह स्पष्ट है कि वक्त जॉच पोश मशीन में उपलब्ध स्टॉक के अनुसार मौके पर 2659 किलोग्राम गेहूं कर पाये गये, परन्तु ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त 2659 किलोग्राम गेहूँ वितरण हेतु प्राप्त कर उनका वितरण नहीं कर गबन किया गया हो। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित टिप्पणी अनुसार भी पोश मशीन में ज्यादा गेहूँ डीलर की गलती से ही ज्यादा अपडेट हुआ है। केवल मात्र भूल अथवा गलती से पोश मशीन में ज्यादा गेहूँ अपडेट हो जाने मात्र के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध पारित निर्णय जैर अपील को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जहां तक रेस्पोन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) का कथन कि 15 किलो गेहूँ अपीलान्ट के पास भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हुए भी अपीलान्ट द्वारा अधिक ट्रांजेक्शन कर अनियमिता बरती है। इस आरोप के संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही कोई सुनवाई व प्रतिरक्षण का संबंधित को अवसर दिया गया है, इसलिए इस बिन्दु पर कोई आदेश पारित करना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील तथ्यों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर को अपास्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:37:08 IST
Reason: SelfAttested